

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 3857/2026**

वीरेंद्र और एक अन्य आवेदक(ओं)

बनाम

प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

..... विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : पवन कुमार शर्मा

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री धनंजय कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर वकालतनामा अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह जमानत आवेदन, आवेदकों द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 134/2026 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 326(g), 352, 351(3), 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना मोतीपुर, जिला बहराइच में उन्हें जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि पक्षों के बीच संपत्ति विवाद है और शिकायतकर्ता की ओर से आवेदकों के परिवार के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया है, जो मार्च 2026 से सक्षम न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि एडवोकेट कमिशनर की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदकों और अन्य आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर को ध्वस्त कर दिया और घरेलू सामान जलाने का भी प्रयास किया। लेकिन, घटनास्थल के नक्शे में किसी भी मकान को ध्वस्त करने या किसी भी सामान को जलाने से संबंधित कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वे 16.04.2026 से जेल में हैं तथा जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है, इसलिए आवेदक जमानत के पात्र हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदकों की प्रार्थना का विरोध करते हुए निवेदन किया कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज बयान में आवेदकों की संलिप्तता पाई गई है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि स्थल नक्शा में किसी भी आवासीय मकान को गिराने या किसी भी घरेलू सामान को जलाने का कोई सबूत नहीं है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और जमानत आवेदन की सामग्री के साथ-साथ स्थल नक्शा सहित अन्य प्रासंगिक सामग्रियों को देखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त मामले में संलिप्त आवेदकों वीरेंद्र और राज कुमार को 25,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक ऐसे किसी अपराध में न तो भाग लेंगे और न ही उसे अंजाम देंगे जो उस अपराध के समान हो जिसका उन पर आरोप है या जिसके किए जाने का उन पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेंगे कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेंगे। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं, तो विचारणीय न्यायालय उनके खिलाफ धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो विचारणीय न्यायालय उनके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक विचारणीय न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदकों की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।